न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

पीठासीन अधिकारीः—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :—193 / 2025

प्रार्थीः—

कैलाश पुत्र मानाराम जाति नाई निवासी ठाकरखेडा तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा
2. जगाराम पुत्र मानाराम जाति नाई निवासी ठाकरखेडा
3. मालाराम पुत्र मानाराम जाति नाई निवासी ठाकरखेडा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :—

1. श्री नरपतसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री यशपालसिंह अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2 व 3

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 16.01.26

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 926 व 930 रकबा 0.9227 व 1.7887 हैक्टेयर भूमि ग्राम ठाकरखेडा तहसील समदडी में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। विवादित भूमि पैतृक भूमि है जो प्रार्थी के पिता के नाम पर दर्ज थी, प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक डायरी आदि में उसका वास्तविक नाम ''कैलाश '' दर्ज है किन्तु फौतदगी नामान्तरकरण दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम ''कूकाराम'' लिख दिया । इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से वकील श्री यशपालसिंह द्वारा वकालतनामा व प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष बाबत सहमति का जवाब प्रस्तुत किया गया तहसीलदार समदडी के पत्र क्रमांक भू.अ. / 2025 / 2978 दिनांक 29.12.2025 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.09 17:43:34 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

प्रार्थी ने आवेदन पत्र के समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज ग्राम पंचायत मजल का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जनाअधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक डायरी,ई–श्रम कार्ड की प्रति पेश की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''कैलाश'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 926 व 930 रकबा 0.9227 व 1.7887 हैक्टेयर भूमि ग्राम ठाकरखेडा तहसील समदडी में फौतदगी नामान्तरकरण दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी का नाम ''कूकाराम'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के ग्राम पंचायत मजल का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जनाअधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक डायरी,ई–श्रम कार्ड आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''कैलाश'' की तस्दीक होती है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम ''कूकाराम'' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ठाकरखेडा तहसील समदडी के खसरा संख्या 926 व 930 रकबा 0.9227 व1.7887 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थी का नाम ''कूकाराम'' के स्थान पर ''कूकाराम उर्फ कैलाश पुत्र मानाराम'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदडी को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 16.01.2026 को मेरे द्वारा इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.09 17:43:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)